राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 612/2025

अनिता सुयेरिया **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.03.2025
आदेश की दिनांक : 26.03.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री विक्रम सिंह भांवला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति प्रत्यर्थी विभाग में अध्यापक ग्रेड तृतीय (लेवल–द्वितीय) हिन्दी विषय के पद पर आदेश दिनांक 02.04.2019 द्वारा राजकीय कन्या सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, कनबई, ब्लॉक नयागांव, जिला उदयपुर में हुई थी एवं वर्तमान में वह इसी विद्यालय में कार्यरत है। सेवा में 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने में आदेश दिनांक 06.07.2021 द्वारा अपीलार्थी को स्थायी कार्मिक घोषित किया गया। आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलासुआ फला, ब्लॉक नयागांव, जिला उदयपुर में अध्यापक ग्रेड–तृतीय (लेवल–प्रथम) पद के विरूद्ध किया गया है। अपीलार्थी का पद अध्यापक ग्रेड तृतीय (लेवल–द्वितीय) हिन्दी विषय है जबकि उसे अध्यापक ग्रेड–तृतीय (लेवल–प्रथम) पद के विरूद्ध बिना किसी

प्रशासनिक आवश्यक्ता एवं बिना रिक्त पद के स्थानान्तरित किया गया है क्योंकि नये पदस्थापन स्थान पर अध्यापक ग्रेड तृतीय (लेवल–द्वितीय) हिन्दी विषय का कोई पद रिक्त नहीं है।

3. प्रकरण में सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश जारी होने के पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा, उदयपुर को अपने अभ्यावेदन दिनांक 09.12.2024 द्वारा निवेदन किया गया कि आलौच्य स्थानान्तरण आदेश द्वारा अधिशेष कार्मिकों के समायोजन/पदस्थापन के तहत अपीलार्थी का स्थानान्तरण रा.बा.उ.मा.वि. कनबई से रा.प्रा.वि. कलासुआ फला में किया गया है जहां केवल एक ही पद रिक्त है किन्तु वहां दो कार्मिकों का पदस्थापन होने से उक्त पद पर अर्जुनलाल भील रा.उ.मा.वि. चित्तौडा (नयागांव ब्लॉक) ने कार्यग्रहण कर लिया है जिसकी वजह से पद रिक्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी उक्त नवीन पदस्थापन स्थान पर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर पा रही है। अतः उन्हें संशोधित आदेश जारी करके पुनः यथास्थान रा.बा.उ.मा.वि. कनबई, ब्लॉक नयागांव, जिला उदयपुर में समायोजित किया जावे। किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतः अपील अपीलार्थी ग्राह्य कर आलौच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 07.12.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे एवं अप्रार्थी विभाग को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को संशोधित आदेश जारी करके निरन्तरता में पुनः यथास्थान रा.बा.उ.मा.वि. कनबई, ब्लॉक नयागांव, जिला उदयपुर में कार्यरत रखा जावे।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 1 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते

है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य

NDG/-